न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/345/2006/नागौर

1. तेजसिंह
2. जेठूसिंह
3. हनुमानसिंह
4. करणसिंह पुत्रगण कल्याणसिंह
5. हरकंवर पत्नी कल्याण सिंह
6. मगसिंह पुत्र किशोरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सीगड तहसील व जिला नागौर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर
2. देवीसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सीगड तहसील व जिला नागौर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–

श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री वी.पी. सिंह, राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 23.08.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, मुख्यालय नागौर के न्यायालय में घोषणा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 177 का मौके पर रकबा 198बीघा 06बिस्वा था, जो त्रुटिवश रकबा 98बीघा 04बिस्वा दर्ज हो गया। उक्त खसरा नम्बर से सेटलमैन्ट के बाद नये खसरा नम्बर 401, 402, 415, 417 एवं 418 बने है। खसरा नम्बर 402 का रकबा 42बीघा 01बिस्वा दर्ज किया है जबकि मौके पर 142बीघा 01बिस्वा है। अतः मौके अनुसार दुरूस्ती की जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–2 को खसरा नम्बर 402 रकबा 142बीघा 01बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। तत्पश्चात् बाद सुनवाई वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07–09–2005 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण वादीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि साबिक खसरा नम्बर 177 कर रकबा मौके अनुसार 198बीघा 06बिस्वा था जो गलती से 98बीघा दर्ज हो गया तथा सेटलमैनट के बाद इस खसरा नम्बर से अन्य खसरा

नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 402 भी बना है, जिसका रकबा 100बीघा कम दर्ज किया गया है जबकि मौके पर 100बीघा अधिक है। उनका कथन है कि पुराने व नये नक्शे में भी रकबा अधिक दर्ज है जो मौके पर नाम से भी स्पष्ट है। उनका यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार, प्रथम नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–4–1966 में साबिक व नये खसरा नम्बरान का रकबा कम दर्ज होना मानते हुए दुरूस्ती के आदेश पारित किये गये है, जिससे भी वादीगण का रकबा कम दर्ज होना प्रमाणित है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अपील को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व अभिलेख में वादीगण की खातेदारी में जितनी भूमि पूर्व में दर्ज थी, उतनी भूमि पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदारी दर्ज की गयी है। ऐसी स्थिति में मौके पर अधिक भूमि होने से वादीगण अपीलार्थीगण को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. पत्रावली एवं अधीनस्थ पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, मुख्यालय नागौर के न्यायालय में घोषणा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 177 का मौके पर रकबा 198बीघा 06बिस्वा था, जो त्रुटिवश रकबा 98बीघा 04बिस्वा दर्ज हो गया। उक्त खसरा नम्बर से सेटलमैन्ट के बाद नये खसरा नम्बर 401, 402, 415, 417 एवं 418 बने है। खसरा नम्बर 402 का रकबा 42बीघा 01बिस्वा दर्ज किया है जबकि मौके पर 142बीघा 01बिस्वा है। अतः मौके अनुसार दुरूस्ती की जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–2 को खसरा नम्बर 402 रकबा 142बीघा 01बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2006 के अनुसार खसरा नम्बर 177 कर रकबा 98बीघा 06बिस्वा दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 177 के हाल खसरानम्बर 401, 402, 415, 417 व 418 कायम किये गये है। जमाबन्दी सम्वत् 2054–57 के अनुसार खसरा नम्बर 402 का रकबा 42बीघा 01बिस्वा, खसरा नम्बर 417 का रकबा 04बीघा 05बिस्वा एवं खसरा नम्बर 401 का रकबा 08बिस्वा दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2011–14 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2022–25, जमाबन्दी सम्वत् 2015–18 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2019–22 में भी साबिक खसरा नम्बर 177 का रकबा 98बीघा 06बिस्वा ही दर्ज है। उक्त से स्पष्ट है कि वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 177 का रकबा 98बीघा 06बिस्वा ही पूर्व में दर्ज था तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान उतना ही रकबा वादीगण अपीलार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया है। केवल मात्र मौके पर रकबा अधिक होने से वादीगण अपीलार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील वर्ष 2006 से विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 226 में प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों एवं डिक्री की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य